माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा/ऑनलाइन/ 433 भोपाल, दिनांकः 14/05/2026

परिपत्र

(आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा अंक प्रेषण हेतु दिशा–निर्देश)

परीक्षा मई–जून 2026 हेतु समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंक एवं पीजीडीसीए/डीसीए के प्रायोगिक परीक्षा अंक प्रेषण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

(अ) **समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंकों के संबंध में**

1. समस्त पाठ्यक्रमों के **आंतरिक अंको की ऑनलाईन प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 12/06/2026** निर्धारित की गई है।

2. (अ) अध्ययन संस्थाओं/शैक्षणिक विभागों द्वारा विषयवार आंतरिक अंक ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उपरांत संबंधित संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा उसे अंतिम रूप से ऑनलाईन अनुमोदित **'Send to University' करना अनिवार्य है।** अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग **आंतरिक अंकों की ऑनलाइन में प्रविष्टि करने संबंधित पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 12/06/2026** तक सुनिश्चित करेंगें।

   (ब) **निर्धारित अंतिम तिथि 12/06/2026 के पश्चात् विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रं परीक्षा/2020/272 दिनांक 19/3/2020 के अनुसार आंतरिक एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्टि निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ की जायेगी। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रथम अवसर की अवधि दिनांक 13/06/2026 से 19/06/2026 तक रहेगी जिसमें विलम्ब शुल्क रूपये 100/– प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय अवसर की अवधि दिनांक 20/06/2026 से 25/06/2026 तक रहेगी जिसमें 200/– प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि विलम्ब शुल्क देय होगा।**
   द्वितीय अवसर की निर्धारित अवधि दिनांक 25/06/2026 समाप्त होने के पश्चात किसी भी स्थिति में आंतरिक एवं प्रायोगिक अंक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग आंतरिक अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत रिपोर्ट का स्पष्ट प्रिंटआउट (क्यूआर कोड सहित) निकालकर, इस प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा संस्था कोड की मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जाये तथा हस्ताक्षरित उक्त रिपोर्ट की स्वच्छ प्रति स्कैन कर **PDF Format में रूपान्तरित करने के पश्चात उक्त PDF file विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी onlineintpra@gmail.com** दिनांक **03/07/2026 तक भेजना सुनिश्चित करेंगें।**

4. जिन विद्यार्थियों पर नामांकन शाखा द्वारा आपत्ति लगायी गई हैं। उन्हें प्रवेश पत्र जारी न किये जाये एवं किसी भी स्थिति में आंतरिक अंको की प्रविष्टि पोर्टल पर नहीं करेंगे।

(ब) **पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक अंकों के संबंध में**

1. पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के **प्रायोगिक अंको को ऑनलाईन प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 12/06/2026** निर्धारित की गई है। प्रायोगिक परीक्षा अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि के संबंध में शेष नियम अ (2) के अनुसार यथावत रहेंगे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा/2008/322 दिनांक 06 सितम्बर 2008 के द्वारा पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समस्त संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग निम्नलिखित दिशा–निर्देश के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा संपादित करें :–

- पीजीडीसीए तथा डीसीए पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग अपने केन्द्र पर अपने ही विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा स्वयं संचालित करेंगी।
- प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष स्वयं करेंगे। किन्तु परीक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगाः–
  (अ) विश्वविद्यालय के शिक्षक
  (ब) प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (शासकीय एवं अर्धशासकीय) के शिक्षक
  (स) शासकीय महाविद्यालय के शिक्षक
  (द) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षक
- बाह्य परीक्षक कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों साथ ही **कम्प्यूटर** पाठ्यक्रम में एम.एस.सी (सी.एस.), एम.एस.सी.(आई.टी.), एम.सी.एम., बी.ई., एम.टेक. एम. सी.ए. में से किसी एक की उपाधि होना अनिवार्य हैं। समस्त अर्हता **पूर्ण करने पर बाह्य** परीक्षक को नियुक्त किया जाकर संस्था प्रभारी इन अर्हता/योग्यता को प्रमाणित करेंगे।
- बाह्य परीक्षक यथासंभव स्थानीय हों तथा उन्हें देय राशि निर्धारित मानदण्ड अनुसार संस्था स्वयं वहन करेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
- उत्तरपुस्तिकाएं अध्ययन संस्था/शैक्षणिक विभाग स्वयं उपलब्ध करायेंगे।
- परीक्षा के अंको की स्कीम विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. Exam-1/May-June 2026/258 भोपाल, दिनांक 26/03/2026 के अनुसार निर्धारित है।

3. परीक्षा **मई–जून 2026** के लिए प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा के अंक विभाजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. 1351 दिनांक 23 जनवरी 2016 द्वारा जारी की गई है जो निम्नानुसार है :–

- विषयवार आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंकों में से 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिये जाना हैं।
- विषयवार आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंकों में से 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पर दिये जाना हैं।
- विषयवार आंतरिक मूल्यांकन के अंकों में से 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी के कक्षा एवं संस्थान में व्यवहार के आधार पर दिये जाना हैं।

इन अंको का अलग संधारण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग एवं समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के विभाग प्रमुखों द्वारा किया जायेगा। वे इन्हें सुरक्षित रखेगें तथा परीक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवायेगें।

4. **विद्यार्थी आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित होने की स्थिति में वह सैद्धांतिक परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।** ऐसी स्थिति में विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश पत्र जारी न किया जाये।
5. अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग अपने एम.पी. ऑनलाईन लॉगइन से उपस्थिति पत्रक तथा पर्ण (Foil) का प्रपत्र के प्रिन्टआउट की स्वच्छ प्रति प्रायोगिक परीक्षक को उपलब्ध करवाएगे। परीक्षा संपन्न कराने के उपरांत प्रायोगिक परीक्षक छात्रों के अंक निर्धारित प्रपत्र में भरकर एवं हस्ताक्षर कर, भरा हुआ प्रपत्र स्कैन कर **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी पर दिनांक 03/07/2026 तक मेल करेंगे।**
6. अध्ययन संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष **प्रायोगिक अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि की पूर्ण प्रक्रिया अंतिम तिथि 12/06/2026 तक करेंगे।** प्रविष्टि के उपरांत रिपोर्ट का स्पष्ट प्रिंट (क्यूआर कोड सहित) निकालकर परीक्षक एवं संचालक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, परीक्षा सामाग्री के साथ, चैक लिस्ट, हस्ताक्षरित अंक, उपस्तिथि पत्रक, प्रमाण पत्र, टाईम-टेबल, परीक्षक का बायोडेटा, परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक को स्कैन कर **PDF file** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी **onlineintpra@gmail.com** पर सेन्टर कोड के नम्बर से सेव कर विश्वविद्यालय में **अंतिम तिथि 03/07/2026 तक ईमेल करना सुनिश्चित करेंगे।**
7. अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग सीसीटीवी कैमरे लगवाकर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराएँ। इनका व्यय संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी रिकार्डिंग (सीडी) को संस्था/विभाग अपने पास रखे एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंको के साथ रिकार्डिंग **onlineintpra@gmail.com** पर भी ईमेल करना अनिवार्य है।

8. इस परिपत्र के साथ प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का नमूना संलग्न है। अध्ययन संस्था/ शैक्षणिक विभाग इस नमूने के अनुसार उत्तरपुस्तिका मुद्रित कराकर परीक्षा में उपयोग करें। उपयोग की गई उत्तरपुस्तिका को हस्ताक्षर एवं मोहर कर संस्था/विभाग स्वयं अपने पास परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 माह तक रखेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। यह उत्तरपुस्तिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी मांगी जा सकती है।

अध्ययन संस्थाएं/शैक्षणिक विभाग समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंकों एवं पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक प्राप्तांको के प्रिन्ट आउट (हार्डकापी) को आवश्यक हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ अपनी संस्था में सुरक्षित रखे तथा स्कैन कॉपी दिनांक 03/07/2026 तक ईमेल **onlineintpra@gmail.com** के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। उक्त कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु ऑनलाईन शाखा (परीक्षा विभाग) के दूरभाष क्र 0755-2574532 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

13/05

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नः-
1. अधिसूचना क्र/परीक्षा/2020/272 की छायाप्रति।
2. अधिसूचना क्र/परीक्षा/2008/322 की छायाप्रति।
3. अधिसूचना क्र/प्रायोगिक/1351 की छायाप्रति।
4. चैक लिस्ट।
5. बायोडाटा का प्रारूप।
6. प्रमाण पत्र का प्रारूप।
7. उत्तरपुस्तिका का नमूना।
8. उपस्थिति पत्रक का प्रारूप।

प्रतिलिपिः- 434 — 14.5.26.
1. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त परिसर प्रभारी, खंडवा, रीवा, एवं दतिया परिसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संचालक/प्रभारी, समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट की ओर अपलोड करने हेतु।

13/05

परीक्षा नियंत्रक